

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का० आ० सं०-186681

पटना, दिनांक-30-5-14

ग्रा०वि०-5/सा०आ०जन०(वी.सी)-103-12/2012

राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के अन्तर्गत दावा/आपत्ति प्राप्त एवं निष्पादन का कार्य सभी जिलों में प्रगति पर है।

विभिन्न माध्यमों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के तहत किये गये सर्वेक्षण में कुछ व्यक्ति/ परिवार/ टोले छुट गये हैं। एतद् संबंधी शिकायत की सत्यता हेतु स्थलीय जाँच आवश्यक है।

अतः निम्नांकित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने नाम के सामने अंकित जिले में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना(SECC) के तहत किये गये/किये जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-31.05.2014 को निम्न बिन्दुओं के आलोक में करेंगे:-

- a) सभी पदाधिकारी आवंटित जिले के किन्हीं दो प्रखंडों में अवस्थित SECC के चार्ज सेन्टर का निरीक्षण करेंगे।
- b) सभी पदाधिकारी आवंटित जिले के किन्हीं दो गाँवों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के साथ निरीक्षण करेंगे तथा व्यक्ति/परिवारों/टोले के नाम छुटे होने संबंधी शिकायतों की जाँच करेंगे SECC से संबंधित उपरोक्त जाँच दिनांक- 31.05.2014 को संलग्न प्रपत्र के आलोक में की जाये।


पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं आवंटित जिला

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित जिला का नाम
1	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०,अपर सचिव	मधुबनी
2	श्री प्रमोद कुमार बिहारी, विशेष सचिव	जहानाबाद
3	श्री महेन्द्र भगत, उप सचिव	अररिया
4	श्री संजय कुमार सिंह, उप सचिव	कटिहार
5	श्री राजीव कुमार, परियोजना पदाधिकारी	बक्सर
6	श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्वी चम्पारण
7	श्रीमती कुमारी सीमा, विशेष कार्य पदाधिकारी	पटना
8	श्री अभयेन्द्र मोहन सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी	पूर्णियाँ
9	श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी	जमुई
10	श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी	नालन्दा
11	श्री अनिल कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी	समस्तीपुर
12	श्रीमती कनक बाला, विशेष कार्य पदाधिकारी	वैशाली

13	श्री तुलसी राम, कार्यपालक अभियन्ता	सारण
14	श्री नित्यानन्द राय, कार्यपालक अभियन्ता	मधेपुरा
15	श्री प्रेम कुमार, सहायक अभियन्ता	भोजपुर
16	श्री गोपाल सिंह, सहायक अभियन्ता	गोपालगंज
17	श्री राधाकान्त कुमार, परियोजना निदेशक	सीतामढ़ी
18	श्री सुनील प्रकाश सिंह, निरीक्षी पदाधिकारी	सुपौल

उपरोक्त सभी पदाधिकारी दिनांक-02.06.2014 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जाँच प्रतिवेदन के साथ आहूत बैठक में भाग लें।

अनुलग्नक:- विहित प्रपत्र



2015
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव

जापांक-186681

पटना, दिनांक-30-5-14


प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2015
सरकार के प्रधान सचिव

जापांक-186681

पटना, दिनांक-30-5-14


प्रतिलिपि:- ग्रामीण विकास विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2015
सरकार के प्रधान सचिव

जापांक-186681

पटना, दिनांक-30-5-14


प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


2015
सरकार के प्रधान सचिव

जापांक-186681

पटना, दिनांक-30-5-14

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
SECC के तहत कार्यों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निमित्त भ्रमण में जाने के लिए आदेश में वर्णित पदाधिकारियों को सड़क मार्ग से यात्रा हेतु एक-एक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।


2015
सरकार के प्रधान सचिव

SECC जाँच हेतु प्रपत्र

1	पदाधिकारी का नाम	
2	पदनाम	
3	आवंटित ज़िला	
4	निरीक्षण किये गये दो प्रखंडों का नाम	
5	क्या प्रखंड में COTS हेतु चार्ज सेन्टर कार्यरत है? यदि हाँ तो कुल प्राप्त दावा/ आपत्ति एवं उसके विरुद्ध NIC सर्वर पर अपलोड दावा/आपत्तियों की संख्या का उल्लेख करें।	(हाँ / नहीं)
6	क्या चार्ज सेन्टर में प्राप्त दावा/आपत्तियों का रख रखाव सही ढंग से हो रहा है?	(हाँ / नहीं)
7	क्या प्रखंड स्तरीय नामित पदाधिकारियों द्वारा दावे/ आपत्तियों पर सुनवाई कर ससमय आदेश पारित किया जा रहा है ?	(हाँ / नहीं)
8	कुल निष्पादित दावे/ आपत्तियों के विरुद्ध NIC सर्वर पर अपलोड किये निष्पादित दावे/ आपत्तियों की संख्या ।	
9	प्रखंड के निरीक्षण के दौरान पाया गया कोई अन्य विशिष्ट जानकारी	
10	SECC सूची के साथ निरीक्षण किये गये दो गाँव का नाम	
11	क्या SECC की प्रारूप सूची की प्रति संबंधित परिवार को प्राप्त हुई है?	(हाँ / नहीं)
12	प्रारूप सूची किसके द्वारा परिवार को उपलब्ध कराई गई ?	

13	क्या निरीक्षित परिवार के किसी सदस्य का नाम छुटा पाया गया ?	(हाँ / नहीं)
14	क्या निरीक्षित परिवार द्वारा SECC से संबंधित कोई अन्य शिकायत दर्ज की गई?	(हाँ / नहीं)
15	क्या निरीक्षित परिवार को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड निर्गत किया गया है ?	(हाँ / नहीं)
16	क्या संबंधित निरीक्षित गाँव में व्यक्ति/परिवार/टोला के नाम छुटे होने की शिकायत प्राप्त हुई ? (यदि हाँ तो अनुमानित संख्या)	(हाँ / नहीं)
17	निरीक्षण के दौरान SECC से संबंधित पाया गया कोई अन्य विशिष्ट बिन्दु-	

हस्ताक्षर